



क्र./शिक्षक-शिक्षा/05-01/बी.एड.(विभागीय)/प्रवेश/2020/1217
प्रति,

रायपुर, दिनांक 21.05.2020

1. प्राचार्य,
शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर
2. प्राचार्य,
शासकीय शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर

विषय :- बी.एड. (विभागीय) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2020-22 में प्रवेश बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत बी.एड.(विभागीय) 2020-22 में प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

1. राज्य के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक बी.एड. प्रशिक्षण के लिए दिनांक 01.06.2020 से 30.06.2020 तक SCERT के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में निर्धारित प्रारूप में Online आवेदन कर सकते हैं। इस भरे हुए आवेदन का प्रिन्ट प्राप्त कर आवेदन के हार्ड कापी में आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर संबंधित शिक्षा महाविद्यालय में दिनांक 10.07.2020 तक जमा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शिक्षक को कार्यरत संस्था के प्रमुख तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से NOC प्राप्त करना होगा। इस NOC का साफ्ट कापी (स्केन कापी) आवेदन में Upload करने पर ही ऑनलाइन आवेदन भर पायेंगे।

शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यरत अभ्यर्थी अपने संस्था प्रमुख के द्वारा NOC प्राप्त करेंगे तथा हार्ड कापी सीधे संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करेंगे।

आप जिला शिक्षा अधिकारी को प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में तत्काल पत्र द्वारा सूचित करें। उन्हें यह भी निर्देशित करें कि वे बी.एड.प्रवेश प्रक्रिया 2020-22 हेतु समय पर सूचना प्रसारित करें तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करें। Online आवेदन पत्र तथा निर्देश एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> पर भी उपलब्ध है इसकी जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी को देवें तथा सूचना बोर्ड पर भी चस्पा करें। बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम में चयन एम.एड. (विभागीय) प्रवेश नियम में गठित चयन समिति ही करेगी।

एम.एड. विभागीय प्रवेश नियमानुसार चयन समिति गठित करें तथा चयन की कार्यवाही पूरा कर चयन सूची दिनांक 10.08.2020 तक जारी करें तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को देवें जिससे वे संबंधित को निर्धारित अवधि में प्रवेश हेतु कार्यमुक्त कर सकें, ताकि अध्यापन कार्य संभावित सितम्बर माह से अनिवार्यतः सुनिश्चित हो। सूची जारी करने के दिवस ही चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची की प्रति परिषद् को आवश्यक रूप से भेजे तथा ई-मेल scertcg@gmail.com पर ई-मेल करें ताकि इसे एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

2. बी.एड.विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण हेतु सीटों का आबंटन करने हेतु पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार है-

2.1 आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अप्रशिक्षित व्याख्याता/व्याख्याता LB/व्याख्याता (पंचायत)/प्रधानपाठक उच्च प्राथमिक शाला/उच्च श्रेणी शिक्षक/शिक्षक LB/ शिक्षक (पंचायत)/प्रधानपाठक प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक LB व सहायक शिक्षक (पंचायत) जो NCTE के नाम्स अनुसार अर्थात् 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्तांक के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो, बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पात्रता रखते है। इंजीनियरिंग में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। SC/ST/OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/दृष्टिबाधित/शिथिलांग वर्ग के लिए इस न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। बी.एड. पात्रता के लिए स्नातक स्तर की उपाधि मान्य हैं, परन्तु स्नातक में प्राप्तांक निर्धारित प्राप्तांक से कम होने पर स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता होगी। चयन हेतु पद का वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा -

1. स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग 'ई' व 'टी' के लिए - व्याख्याता/प्रधानपाठक उच्च प्राथमिक शाला/उच्च श्रेणी शिक्षक /प्रधानपाठक प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक
 2. स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग LB व पंचायत एवं नगरीय निकाय के शिक्षकों के लिए- व्याख्याता LB/व्याख्याता (पंचायत)/शिक्षक LB/शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक LB/सहायक शिक्षक (पंचायत)
- 2.2 उक्त पदों पर कार्यरत शिक्षक जो कि निर्धारित प्राप्तांक के साथ स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण है तथा डी.एड./बी.टी.आई./डी.एल.एड. प्रशिक्षित हों तो उन्हें भी आवेदन करने की पात्रता होगी परंतु प्राथमिकता अप्रशिक्षित शिक्षकों को दी जाए।
- 2.3 प्रवेश हेतु चयन वरिष्ठता के आधार पर होगा। वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्रवेश दिया जाएगा।
- 2.4 परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- 2.5 अभ्यर्थी की अधिकतम आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई 2020 को 55 वर्ष से अधिक न हो।
- 2.6 बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम के सीटों को स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग 'ई', 'टी' तथा 'LB' व पंचायत एवं ग्रामीण विकास व नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया है।
- 2.7 किसी एक विभाग की सीटें रिक्त रहती हैं तो दूसरे विभाग के शिक्षकों से सीटों को परस्पर निम्नानुसार भरा जायेगा -
1. किसी विभाग की सीटें रिक्त रहने पर उसी विभाग से पद वरिष्ठता से सीटें भरी जावेगी उसके पश्चात् भी सीट्स रिक्त रहने पर स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' एवं स्कूल शिक्षा विभाग 'टी', तथा स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'LB' व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय निकाय संवर्ग के क्रम से भरी जाएगी।